अन्तिम रुप से राशि निकालने के लिए आवेदन-पत्र का फार्म FORM OF APPLICATION FOR FINAL WITHDRAWAL (सामान्य भविष्य निधि से ना वापिस नान रिफन्डेवल) (NON-REFUNDABLE FROM GENERAL PROVIDENT FUND)

1. क.	अंशदाता का नाम
	Name of the subscriber
ख.	सामान्य भविष्य निधि खाता सं.
	G.P.F. account No.
2.	पदनाम और अनुभाग
	Designation & section
3.	वेतन
	Pay
4.	नियुक्ति की तिथि
	Date of appointment
5.	आवेदन की तिथि को अंशदाता के
	खाते में जमा शेष राशि
	Balance at Credit of the subscriber
	on the date of application.
6.	निधि में मासिक अंशदान
	Monthly contribution to fund
7.	अन्तिम रूप से राशि निकालने के
	लिए मांगी गई राशि
	Amount of final withdrawal applied for
8.	उद्देश्य, जिसके लिए आवेदन किया गया है
0.	Purpose for which the withdrawal is required.
9.	पिछली बार अन्तिम निकासी(विद्रहाल)
.	की राशि यदि कोई हो और निकासी
	का विवरण व तिथि भी दें।
	Amount of final withdrawal last taken,
	if any, state particulars of the withdrawals
	of date on which taken
10.	अंशदाता की आर्थिक परिस्थितियों
	का पूर्ण दिवरण, जो अंशदाता के
	निकासी के आवेदन-पत्र को न्यायोचित
	सिद्ध करता हो ।
	Full particulars of the pacuniary circumstances
	of the subscriber justifying the application for
	the withdrawal
11.	आवेदक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र
20.44	Certificate to be furnished by applicant.
क.	यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदन की तिथि को सेवा के २० वर्ष पूरे कर लिए हैं।
11,11	It is certified that I have completed 20 years service on the date of application.
ख.	यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने जिस उद्देश्य के लिए अब अन्तिम निकासी के लिए आवेदन किया है, मैंने
	उस उद्देश्य के लिए पहले कोई राशि नहीं निकलवायी है ।
	it is certified that I have not drawn any final withdrawal for the purpose for which the same is applied
	for now.
ग.	यह प्रमाणित किया जाता है कि निकालने के लिए आवेदित राशि मेरे क्रेडिट में शेप राशि के ३/४ से अधिक
9.	नहीं है ।
	It is certified that the amount of withdrawal applied for, does not execeed 3/4 of the balance at my
	credit.

आवेदक के हस्ताक्षर Signature of the applicant

बजट एवं लेखा अनुभाग द्वारा रिपोर्ट REPORT BY THE BUDGET & ACCOUNTS SECTION

आवेदक का अंशदान Applicant's subscription

	सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय-सेवा) नियम, १६६० के नियम. विशेष मामले के रूप में		
रू. की आंशिक अन्तिम निकासी (अप्रतिदेय अग्रिम) स्वीकार्य है ।			
Rs	ervice. A part final withdrawal (Non refundable Advance) ofis admissible as a normal/special case		
under Rule of General Provident Fund (Central Services) R			
अंशदाता को राशि निकलवाने की तिथि के			
भविष्य निधि लिपिक	लेखा अधिकारी		
Provident Fund Clerk.	Accounts Officer		
अधीक्षक			
Supdt.			

मुख्य लेखाधिकारी की सिफारिश Recommendation of the Chief Accounts Officer.

> मुख्य लेखाधिकारी Chief Accounts Officer

संस्वीकृति प्राधिकारी के आदेश ORDER OF THE SANCTION AUTHORITY

सामान्य/विशेष मामले के रूप में यथा प्रस्तावित संस्वीकृत/असंस्वीकृत । Sanctioned as proposed as normal/special case/not sanction.